संख्या-3867(1)/111(2)/17-40(एम0एल0ए0)/2017

प्रेषक,

एस0एस0 टोलिया,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा मे,

प्रमुख अभियन्ता,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक 06 दिसम्बर, 2017

विषय:- वित्तीय वर्ष 2017-18 में जनपद पौडी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र-लैन्सडौन के अन्तर्गत विभिन्न 06 कार्यों की प्रथम चरण की प्रशासकीय एवं वित्तीय तथा व्यय की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मुख्य अभियन्ता, क्षे0का0, लोक निर्माण विभाग, पौडी द्वारा संलग्न विवरणानुसार उपलब्ध कराये गये प्रथम चरण के कुल 06 आगणनों, जिनकी लम्बाई 19.50 कि0मी0+ 01 सेतु तथा कुल लागत ₹ 76.08 लाख है, पर विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त संस्तुत औचित्यपूर्ण धनराशि **₹ 76.08 लाख (रू0 छियत्तर लाख आठ हजार मात्र)** की प्रशासकीय तथा वित्तीय एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान करते हुए, चालू वित्तीय वर्ष 2017-18 में व्यय हेतु प्रति कार्य ₹ 0.10 लाख अर्थात 06 कार्यों हेतु ₹ 0.60 लाख (₹ साठ हजार मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन में रखे जाने की श्री राज्यपाल निम्नांकित शर्तों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(i)- उक्त स्वीकृति के आधार पर विभाग द्वारा समस्त प्रक्रियात्मक कार्यों को समयबद्ध रूप से पूर्ण किया जायेगा तदोपरान्त शासनादेश सं0:-1764/III(2)/10-17(सामान्य)/2008 दिनांक 17 जून, 2010 की व्यवस्थानुसार विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार कर शासन को वित्तीय स्वीकृति हेतु प्रस्तुत की जायेगी। विस्तृत परियोजना रिपोर्ट पर शासन से अनुमोदन प्राप्त होने के उपरान्त ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(ii)- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शैडयूल आफ रेट में स्वीकृत नही हैं, अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति पर नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता का अनुमोदन आवश्यक होगा।

(iii)- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना की स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय। यदि प्रथम चरण हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि मे बचत हो रही है तो उसका समायोजन विस्तृत आगणन तैयार करते समय किया जायेगा।

(iv)- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते हुए एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टयों के अनुरूप ही कार्यों का सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

(v)- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृत की गई है व्यय उसी मद में किया जाय, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।

(vi)- स्वीकृत किया जाने वाला कार्य उत्तराखण्ड प्रोक्योरमेन्ट रूल्स-2017 एवं उक्त के विषय में समय-समय पर निर्गत समस्त दिशा निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त बजट मैनुअल के निर्देशों का भी अनुपालन किया जायेगा।

(vii)- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0:-2047/XIV-219(2006) दिनांक 30-05-2006 द्वारा निर्गत आदेशों का कार्य कराते समय या आगणन गठित करते समय कडाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(viii) उक्तानुसार स्वीकृत आगणन में एन0पी0वी0, भूमि अधिग्रहण, यूटिलिटी शिफ्टिंग आदि मदों के सम्बन्ध में यथावश्यक व्यय अनुदान सं0-22 लेखाशीर्षक-5054 सडकों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सडकें-337-सडक निर्माण कार्य-04-सड़क/भवन/सेतु आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00 24 वृहत निर्माण कार्य में विभागीय आय-व्ययक में प्राविधानित तथा निवर्तन पर रखी गयी धनराशि से किया जायेगा।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय ख0 लो0 नि0 वि0
लैन्सडौन (गढ़वाल)

जा रहे कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता का सम्पूर्ण दायित्व संबंधित अधिशासी

य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय 31-03-2018 तक सुनिश्चित किया कार्य के सापेक्ष चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होती है तो में निवर्तन में रखी गई धनराशि से नियमानुसार किया जायेगा।

ा किये जा रहे कार्यो में से कोई कार्य प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनान्तर्गत स्वीकृत ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा सकती है, तो ऐसे कार्य की स्वीकृति जायेगी।

मे होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में लोक निर्माण विभाग के अनुदान -5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय-04 जिला तथा अन्य सड़कें- ण कार्य-03 राज्य सेक्टर-0302 नया निर्माण कार्य-24 वृहत निर्माण कार्य 03-02 से स्थानान्तरित) के नामे डाला जायेगा।

देश वित्त अनुभाग-2 के अशासकीय संख्या-554./XXVII/(2)/2017 दिनांक 06 दिसम्बर, नकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

संख्या-3867(1)/III(2)/17-40(एम0एल0ए0)/2017 तद्दिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार (लेखा प्रथम), ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा देहरादून।
2. ~~सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन।~~
3. जिलाधिकारी, पौडी गढवाल।
4. मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, पौडी गढवाल।
5. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तराखण्ड शासन।
8. अधीक्षण अभियन्ता, बारहवॉ वृत्त, लोक निर्माण विभाग, पौडी गढवाल।
9. अधिशासी अभियन्ता, नि0ख0, लोक निर्माण विभाग, बैजरो।
10. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

कार्यालय
मुख्य अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि. उत्तराखण्ड
देहरादून

1014 /20 मा0 क/17 दि0- 11-12-17

निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :
मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय, लो0 नि0 वि0, पौडी।
अधीक्षण अभियन्ता, 12वॉ वृत्त, लो0 नि0 वि0, पौडी।
अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो0 नि0 वि0, बैजरो।
अधिशासी अभियन्ता, आई0टी0 सैल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।
... अभियन्ता (प्रा0)/बजट वर्ग, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0नि0वि0, देहरादून।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
कार्यालय प्रमुख अभियंता एवं विभागाध्यक्ष
लो.नि.वि., देहरादून

सहायक अभियन्ता
... लो0नि0वि0
... (गढवाल)

शासनादेश संख्या– 3867 (अ) / III(2) / 17–40(एम0एल0ए0) / 2017 दिनांक 06 दिसम्बर, 2017 का संलग्नक

कार्यालय अधि... पत्रांक 37 ... 150 दिनांक 5/2/18 बैजरो (गढ़वाल)

(धनराशि लाख ₹ में)

क्र.सं	कार्य का नाम	लम्बाई (किमी0 में)	विभागीय टी0ए0सी0 द्वारा अनुमोदित लागत	चालू वित्तीय वर्ष में अवमुक्त की जा रही धनराशि।
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत अमखोली (खिरैरीखाल) से बागू (नलाई मल्ली) तक मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	17.40	0.10
2	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–लैन्सडौन के विकासखण्ड बीरोंखाल के अन्तर्गत कण्डुली बड़ी से तिमलीखाल मिलाने हेतु मोटर मार्ग नवनिर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	3.00	10.44	0.10
3	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत खडोलियाखेत से कौला पुलडण्डा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	4.00	13.40	0.10
4	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत पंजई मोझण से बैडहाड तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	5.00	16.75	0.10
5	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत जड़ाऊखांद–मजेड़ाबैण्ड मोटर मार्ग के धौलेण्या में 36 मी0 स्टील गर्डर सेतु का निर्माण कार्य। (प्रथम चरण)	36 mtr.	9.72	0.10
6	जनपद पौड़ी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र–लैन्सडौन के विकासखण्ड नैनीडांडा के अन्तर्गत मजेड़ाबैण्ड छिन्नखाल से कमेंडा तक मोटर मार्ग के नव निर्माण का कार्य। (प्रथम चरण)	2.500	8.37	0.10
	कुल	19.50 + 01 brid.	76.08	0.60

(कुल ₹ साठ हजार मात्र)

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता, ~~स्तर-1~~
लोक निर्माण विभाग, पौड़ी।

(एस0एस0 टोलिया)
संयुक्त सचिव

सं0– 28 / अ0प्रा0– पौड़ी / 2018

दिनांक – 04/01/2018

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित,

JE(C)
NC
24/01

1– अधीक्षण अभियन्ता, 12 वाँ वृत्त, लो.नि.वि. पौड़ी
2– अधिशासी अभियन्ता, निखण्ड, लो.नि.वि., बैजरो
इसकी प्रति सम्भावित

5/1/18

मुख्य प्रशा0 अधिकारी
मुख्य अभियन्ता ~~स्तर-1~~
लो... निर्माण वि... ...ड़ी।

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.
लैंसडौन (गढ़वाल)